

## कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा।

पत्रांक ३१३१ /स्टाम्प लिपिक-बांदा-2023-24

दिनांक: ०२-९-२०२३

विषय—उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 की नियम-4क अन्तर्गत जनपद बांदा के वार्षिक मूल्यांकन सूची-2023-24 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त उपनिबंधक,  
जनपद-बांदा।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बांदा में प्रचलित बाजारी कीमतों का निर्धारण कर मूल्यांकन सूची (सम्पत्ति का मूल्यांकन) प्रसारित कर दी गयी है, जिसको जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 02.09.2023 से मूल्यांकन सूची लागू किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।

अतः मूल्यांकन सूची की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार दिनांक 02.09.2023 से लागू करते हुए पंजीकरण हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में वार्षिक मूल्यांकन सूची वर्ष 2023-24 के अनुसार मालियत पर नियमानुसार स्टाम्प/निबंधन शुल्क लेना सुनिश्चित करें।  
संलग्नक— तहसीलवार मूल्यांकन सूची वर्ष 2023-24

(उमाकान्त त्रिपाठी)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बांदा।

पत्रांक      /स्टाम्प लिपिक-बांदा-2023-24

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-5 उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिरीक्षक निबंधन उ०प्र० इलाहाबाद।
3. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
4. जिलाधिकारी महोदया, बांदा।
5. उपमहानिरीक्षक निबंधन, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
6. सहायक महानिरीक्षक निबंधन बांदा।
7. उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, बांदा/अतरा/बबेरु/नरैनी।
8. सचिव, बांदा विकास प्राधिकरण बांदा।
9. प्रभारी, अधिकारी स्थानीय निकाय, कलेक्ट्रेट, बांदा।
10. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बांदा।
11. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बांदा/अतरा।
12. अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत मटौंध/तिन्दवारी/नरैनी/विसण्डा/ओरन/बबेरु।
13. प्रभारी अधिकारी नजूल बांदा।
14. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बांदा।

(उमाकान्त त्रिपाठी)  
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बांदा।

## कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा


संख्या : /स्टाम्प लिपिक—2023

दिनांक :

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम-4 के अधीन जनपद बाँदा के कार्यालय उप निबन्धक नरैनी के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक ०२।०९।२३ से प्रभावी की जाती है। जिसके सम्बन्ध में निम्न सामान्य निर्देश निर्गत किये जाते हैं। ये सामान्य निर्देश मूल्यांकन सूची का अनुभाग होगा, जिसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

### सामान्य निर्देश

1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इसी सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किसक्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना रटाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहदादी में यदि कोई मार्ग है, तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषक भूमि अन्तरण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधि खसरे या किसान बही की सुसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. विलेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका निकास किसी सड़क पर हो, के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही किया जायेगा।
5. जिस कृषक/गैर कृषक/वाणिज्यिक सम्पत्ति के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। जिस कृषक/ गैर कृषक/वाणिज्यिक सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हों तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी।

  
एवं-निर्वन्धन  
नीचो (साला)

  
तहसीलदार  
नरैनी

  
सहायक महानिरीक्षक  
निर्वन्धन-बाँदा  
  
उपर जिलाधिकारी (बि०/रा०)  
बाँदा



6. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ उस सम्पत्ति पर पहुंचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता / पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्ण विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।
8. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल से कम मंजिल के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33-33 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तरण विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अकृषक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायेगी:-
- क— भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के  $1/2$  भाग से
- ख— प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के  $1/3$  भाग से
- ग— द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के  $1/4$  भाग से
- घ— तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के  $1/5$  भाग से
- उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अकृषक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु  $1/6$  पंचम तल की छत हेतु  $1/7$  आदि।
9. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री की दर 50 रुपये प्रति घनमीटर निर्धारित की जायेगी।

  
जन-निवन्धन  
कार्यालय (राजस्थान)

  
तहसीलदार  
नरैनी

  
सहायक महानिरीक्षक,  
निवन्धन-बाँदा

  
लष्टपत्र जिनाधिकारी (वि०/रा०)  
लाला

८८८  
लष्टपत्र जिनाधिकारी  
लाला

10. अन्तरित सम्पत्ति में बोरबेल या कुआ नल आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकित किया जायेगा। बोरवेल का मूल्य 150000 प्रति बोरवेल होगा तथा कुआ का मूल्य प्रति कुआ 80000 तथा नल का मूल्य प्रति नल 30000 होगा।
11. अन्तरित सम्पत्ति में फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा में प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत होगा :—

क्र० सं०	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
1	सागौन	17000.00	28000.00
2	शीशम	12000.00	20000.00
3	खैर, कटहल, नीम	8500.00	15000.00
4	जामुन	3500.00	7500.00
5	यूकिलिप्टिस	6000.00	10000.00
6	आम, महुआ, अशोक	4000.00	7000.00
7	गूलर, सेमर, इमली, पीपल, बरगद, बबूल व अन्य प्रजाति	3000.00	5000.00

12. प्रस्तुत प्रलेखों के पंजीयन हेतु सूची दर में निर्धारित मूल्यदर न्यूनतम है। वास्तविक बाज़ारी मूल्य इससे अधिक हो सकता है, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुक्र देय होगा।
13. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा 27 का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रलेख में निम्नवत तथ्य वांछनीय है :—
- (क) अन्तरणीय कृषि भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा अकृषक / व्यवसायिक भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में लिखना अनिवार्य है।

लाल-निष्ठन्व  
पर्सी (वार्ता)

१२  
लालसीलदार  
पर्सी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

प्रबन्धिकारी (बिं/रा०)  
बाँदा

(ख) रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 21 के अन्तर्गत जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो वहां उसके साथ मानचित्र भी संलग्न हो यह आवश्यक नहीं है कि वह पैमाने पर हो उसमें कृषि भूमि की 200 मीटर त्रिज्यान्तर्गत समरत सम्पत्तिया पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी जायेगी।

(ग) नगरीय क्षेत्रों की विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति की पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ ए-4 कागज पर चर्पा कर प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(घ) किसी लेखपत्र द्वारा विक्रीत ऐसी कृषि भूमि जो सड़क पर है और आबादी से भी सलग्न है। जिसका रकबा 0.100 हेक्टेयर या उससे अधिक हो उसमें 0.100 हेक्टेयर तक का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश के क्रमांक 17 के अनुरूप आगणन किया जायेगा तथा शेष रकबे का मूल्यांकन आबादी के समीप कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत बढ़ाकर आगणन किया जायेगा। आबादी से सटी भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/अकृषक/आवासीय गतिविधियां हों।

14. किसी आवासीय सम्पत्ति के 50 मीटर त्रिज्या में व्यावसायिक गतिविधियां अथवा बाजार होने पर उस सम्पत्ति का मूल्यांकन कुल मूल्यांकन पर 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर मूल्यांकन किया जायेगा व्यावसायिक गतिविधियों से तात्पर्य कम से कम 05 दुकाने अथवा मेला, हाट व बाजार से है। यह प्रावंधान प्रारूप-2, 3 व 4 की आवासीय दरों पर लागू होगें।
15. एक ही सड़क जो भिन्न-भिन्न मोहल्लों से सम्बन्धित हो की दरों में भिन्नता होने पर अधिकतम दर से मूल्यांकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि एक लेखपत्र द्वारा विक्रीत सम्पत्ति जो दो मौजों / मोहल्लों की सीमाओं में पड़ती हो और आपस में सटी हो तो उसका मूल्यांकन अधिकतम दर से किया जायेगा।
16. गैर उल्लिखित मोहल्ला जिसके सम्बन्ध में मूल्य दर निर्धारित करना छूट गया हो, उल्लिखित नहीं है उनका मूल्यांकन समीपवर्ती मोहल्ले के निर्धारित मूल्य-दर से कम पर अनुमन्य नहीं होगा।
17. आबादी अथवा सड़क पर स्थित नगरीय क्षेत्र व अर्द्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकासशील ग्राम की कृषि भूमि की दरें जो सम्बन्धित प्रारूप में निर्धारित की गई हैं, वे 0.100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के अन्तरण हेतु निर्धारित हैं। 0.100 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल के अन्तरण से सम्बन्धित विलेख में न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :-

निवन्धन  
दस्ती (वाला)

८  
तहसीलदार  
न्यैनी

सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-बाँदा

काम जिम्मेदारी (वि०/रा०)  
काम जिम्मेदारी (वि०/रा०)

८८८  
निवन्धन-बाँदा

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0.03 हेक्टेयर तक	इस सूची के भाग 2 में दी गई अकृषक भूमि की दर से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0.03 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.06 हेक्टेयर तक।	0.03 हेक्टेयर को उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 में दी गई अकृषक भूमि की दर के 50 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग।
3.	0.06 हेक्टेयर से अधिक परन्तु 0.100 हेक्टेयर तक।	0.06 हेक्टेयर तक का उपरोक्त श्रेणी-2 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 में दी गई अकृषक भूमि की दर के 25 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग।

18. यदि किसी मुख्य मार्ग के साथ-साथ सर्विस लेन भी है और अन्तरित सम्पत्ति सर्विस लेन पर स्थित है तो अन्तरित सम्पत्ति को स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता हेतु मुख्य मार्ग पर ही माना जायेगा।
19. यदि ऐसी कोई सम्पत्ति जो एक यूनिट के रूप में हो, में से आंशिक रूप से एक से अधिक विक्रय पत्रों के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है और क्रेतागण एक ही परिवार के सदस्य हो (पति, पत्नी, पिता एवं पुत्र आदि) हो तो ऐसी सभी सम्पत्तियों का मूल्यांकन स्टाम्प देयता के प्रयोजन से उस यूनिट को एक मानते हुए उच्चतम दर से किया जायेगा।
20. यदि किसी लेखपत्र में स्टाम्प शुल्क की प्रभार्य दरों में छूट प्राप्त की जाती है तो उस लेखपत्र में तत्सम्बन्धी सुसंगत अधिसूचना/शासनादेश का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्त सैनिकों/विकलांगों के छूट से सम्बन्धित विलेख प्रस्तुत होने पर सेवानिवृत्त सैनिक के प्रमाण पत्र पर/विकलांग प्रमाण पत्र पर छूट से सम्बन्धित लेखपत्र के पंजीकरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
21. यदि विकीत कृषि भूमि राष्ट्रीय/राज्य/जनपदीय मार्ग पर स्थित है तो निर्धारित सड़क की दर (प्रारूप 04 ) में 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ मूल्यांकन किया जायेगा। किन्तु यदि विकीत भूमि

निबन्धन  
परीक्षा (बाँदा)

(५)  
लक्ष्मीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

उपर जिल प्रबंधकारा (बाँदा)  
बाँदा

- खड़न्जा मार्ग, गइला मार्ग पर स्थित है तो निर्धारित सड़क की दर (प्रारूप-04 के कालम 8) में 10 प्रतिशत कम करके मूल्यांकन किया जायेगा।
22. औद्योगिक भूमि की दरों (घोषित औद्योगिक क्षेत्र/प्रारूप 03 (क) व (ख) को छोड़कर हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के अकृषक दर में 25 प्रतिशत कमी इस उपबन्ध के साथ की जायेगी कि उन्हें शासन/उद्योग विभाग/असिस्टेन्ट कलेक्टर/परगना अधिकारी द्वारा औद्योगिक भूमि घोषित किया गया है अथवा जिस पर उद्योग स्थापित है परन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/उद्योग विभाग/परगना अधिकारी द्वारा जारी औद्योगिक भूमि होने का प्रमाण/आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपरोक्त दरे अनुमन्य नहीं होंगी।
23. स्थापित आद्योगिक संस्थानों में लगी मशीनों एवं अन्य उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैल्युअर से प्राप्त आख्या के आधार पर किया जायेगा। आख्या में वैल्युअर की पंजीकरण संख्या, पत्र व्यवहार का पता तथा मोबाइल नम्बर साफ—साफ अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
24. यदि कोई अन्तरित सम्पत्ति प्रारूप 3क, 3ख सेगमेन्ट दरों के अन्तर्गत आती है तो उसका मूल्यांकन प्रारूप 3 में दिये गये दर पर ही किया जायेगा भले ही उसका उल्लेख मूल्यांकन सूची में अन्यत्र आया हो।
25. (क) वाणिज्यिक सम्पत्ति/भवन यदि कार्यालय है तो दुकान /वाणिज्यिक भूमि हेतु निर्धारित (निर्माण+भूखण्ड) की दर में 30 प्रतिशत एवं गोदाम है तो 20 प्रतिशत छास करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। उक्त प्राविधान केवल मूल्यांकन सूची के भाग-2 के प्रारूप 4 पर प्रभावी होगा। वाणिज्यिक सम्पत्ति/भवन की आयु के आधार पर कोई छास मूल्य अनुमन्य नहीं होगा। (ख) सिनेमा हाल बारात घर, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज पेट्रोल पम्प के विक्रय होने पर उस स्थान के लिए निर्धारित वाणिज्यिक दर (निर्माण+भूखण्ड) में 25 प्रतिशत कम करके मूल्यांकन किया जाएगा।
26. वाणिज्यिक भवनों हेतु भूमि एवं निर्माण की जो दरे इस सूची में निर्धारित की गई है, वे भूतल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है। वाणिज्यिक भवन के बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में उक्त निर्धारित (निर्माण+भूखण्ड) दर के 90 प्रतिशत तथा द्वितीय तल पर स्थित इकाई हेतु उक्त निर्धारित (निर्माण+ नूखण्ड) दर के 80 प्रतिशत के आधार पर व तृतीय तल पर स्थित इकाई हेतु उक्त निर्धारित (निर्माण+भूखण्ड) दर के 70 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम मूल्य की गणना की

नि-निवन्धन  
कार्यालय (वार्षा)

सीलदार  
नरैनी

सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-बाँदा

पर्याजिताधिकारी (वि०/रा०)  
बाटा  
अनाधिकारी  
कार्यालय

(३)

जायेगी। चतुर्थ तल या उससे अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना उक्त सूची में निर्धारित (निर्माण) भूखण्ड) स्थित निर्माण दर के 60 प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी।

27. (क) एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान तथा एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान से भिन्न से तात्पर्य है कि उ०प्र० शासन स्टाम्प एवं पंजीयन अनुमान -2 संख्या- 1322/94- स्टा० नि०-२-२०१५-७००(८१)/२०१३ टी०सी० लखनऊ दिनांक 01.12.2015 की अधिसूचना में वर्णित स्पष्टीकरण संख्या - 4 व 5 से है।  
 (ख) एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के मूल्यांकन हेतु नियम—  
 वाणिज्यिक भवन का मूल्य = वाणिज्यिक भवन की भूमि का क्षेत्रफल X वाणिज्यिक भूमि हेतु निर्धारित दर + वाणिज्यिक भवन की निर्माण की दर
28. एकल से भिन्न दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान के मूल्यांकन हेतु नियम—  
 कार्पेट एरिया X कार्पेट एरिया हेतु निर्धारित दर।
29. एकल से भिन्न दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान की स्थिति में फर्श (कार्पेट एरिया) की दर हेतु एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के भूतल स्थित (भूमि+निर्माण दर) निर्धारित दर के योग में (भूतल, अधो तल एवं प्रथम तल को छोड़कर शेष तलों में) 15 प्रतिशत की कटौती कर मूल्यांकन किया जायेगा।
30. निर्माणाधीन भवन जिस पर छत नहीं बनी है, के अन्तरण की दशा में उसका निर्माण मूल्य ₹० 8000/- प्रति वर्ग मी० के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा तथा अन्तरित सम्पत्ति में यदि 1.50 मीटर तक ऊँची दीवार है, तो उसका निर्माण मूल्य ₹० 3000/- प्रति रनिंग मीटर की दर से तथा यदि दीवार 1.50 मीटर से अधिक ऊँची है तो उसका निर्माण मूल्य ₹० 4000/- प्रति रनिंग मीटर के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।
31. सड़कों के किनारे स्थित तथा आबादी से सटे गाटा नम्बरों की संलग्न सूची इस रेट लिस्ट का भाग है तथा प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा समय-समय पर इस सूची को अद्यावधिक कर प्रमाणित प्रति सम्बन्धित उपनिबन्धक को उपलब्ध करायी जायेगी। जो इस रेट लिस्ट का भाग होगी।

लै-निमन्त्रण  
परीक्षा (वार्षिक)

लौलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा


उपर विनाशिकारी (बि०/रा०)  
बाँदा

रजिस्ट्रीकरण उप जिला— नरैनी, जिला बांदा में नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का  
वर्गीकरण वर्णनुक्रम में—


## (क) — नगरीय/अधनगरीय क्षेत्र

उप जिला के अधीन नगरीय/अधनगरीय क्षेत्र (विकास प्राधिकरण परिषद या नगर क्षेत्र की दो किमी० की परिधि  
के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र)

क्र०	सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का वार्ड नं०	आवंटित किया गया वी-कोड
1	2		3	4
1		इन्द्रा नगर	वार्ड 0006	0006
2		कृष्णा नगर	वार्ड 0003	0003
3		किदवई नगर	वार्ड 0010	0010
4		गांधी नगर	वार्ड 0002	0002
5		जवाहर नगर	वार्ड 0004	0005
6		देविन नगर	वार्ड 0001	0001
7		नरैनी टा०ए०	वार्ड 1070	1070
8		पटेल नगर	वार्ड 0005	0005
9		बरुआ स्योढा ट०ए०	वार्ड 1118	1118
10		राज नगर	वार्ड 0007	0007
11		राजीव नगर	वार्ड 0011	0011
12		रामनगर	वार्ड 0012	0012
13		सुभाष नगर	वार्ड 0008	0008
14		शास्त्री नगर	वार्ड 0009	0009




सं-निवन्धन  
वर्गीकरण (वी-कोड)



तहसीलदार  
नरैनी

सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-बाँदा



ब्लॉक विकास अधिकारी (वी०/रा०)  
बाँदा

भाग-1  
प्रारूप-1

(9)

रजिस्ट्रीकरण उप जिला नरैनी जिला बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में—

ख—ग्रामीण क्षेत्र

उप जिले के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र		
क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	प्रयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी—कोड
1	2	5
1	अर्जुनाह	1001
2	अजीतपुर	1002
3	अकबरपुर	1003
4	अमृतपुर खेरवा	1004
5	ऐला	1005
6	काजीपुर	1006
7	कोलावल रायपुर	1007
8	केशरवा	1008
9	कीरतपुर	1009
10	कबौली	1010
11	कल्हरा	1011
12	कुलसारी	1012
13	कल्यानपुर	1013
14	कहला	1014
15	करतल	1015
16	कनाय	1016
17	कटरा कालिंजर	1017
18	किला कालिंजर	1018
19	खडिहा	1019
20	खेरवा	1020
21	खोही	1021
22	खानपुर	1022
23	खरौंच	1023
24	खन्देवरा	1024
25	खुजमरिया	1025
26	खलारी	1026
27	गोविन्दपुर	1027
28	गोपाल खेडा	1028
29	गैडीमाफी	1029
30	गिरवा	1030
31	गोखिया	1031
32	गढा	1032
33	गुढाकला	1033
34	गहबरा	1034
35	गोरेमऊ खुर्द	1035
36	गोरेमऊ कला	1036

ल—निबन्धन  
नरैनी (झाँसी)

तहसीलदार सहायक महानिरीक्षक

नरैनी

निबन्धन-बाँदा

बापर जिनाधिकारी (वि०/रा०)

मा०/वा०

प्रिकार  
ल

१०

37	गुढा खुर्द	1037
38	गोपरा	1038
39	गिरधरपुर	1039
40	गढीचांदपुर	1040
41	गौर शिवपुर	1041
42	चकमाफी	1042
43	चकमोरवां	1043
44	चक गिरवां	1044
45	चक प्रेमपुर	1045
46	चक कीरतपुर	1046
47	चटसरा	1047
48	चकबन्डे	1048
49	चक हड्हा	1049
50	चन्दपुरा	1050
51	छतैनी	1051
52	जरर	1052
53	जहांगीराबाद	1053
54	जमापुर	1054
55	जमवारा	1055
56	जोवनी	1056
57	झढवामानपुर	1057
58	झहरी	1058
59	झलहवा	1059
60	तेरा (गि०)	1060
61	तरहटी कालिंजर	1061
62	तरखरी	1062
63	देवरार	1063
64	दुबरी	1064
65	दिवली	1065
66	दुर्गापुर	1066
67	धूधुर	1067
68	नाहरपुर माफी	1068
69	निभौरा	1069
70	निहालपुर	1070
71	नौहाई	1071
72	नन्दवारा	1072
73	नरैनी देहात	1073
74	नसेनी	1074
75	नौगवां	1075
76	नीबी	1076
77	नहरी	1077
78	नेढुवा	1078
79	नसरतपुर	1079
80	पैगम्बरपुर	1080
81	पतौरा	1081
82	पिथौराबाद	1082

महानिराम  
काली (बाँदा)

तहसीलदार  
नरैनी

सहायक महानिराम  
निबन्धन-बाँदा

उपर जिन्हिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा

८८८  
जिन्हिकारी

(11)

83	पौण्डरा	1083
84	पचोखर	1084
85	पनगरा	1085
86	प्रेमपुर	1086
87	पुकारी	1087
88	परशाहर	1088
89	पडमई	1089
90	पिपरहरी	1090
91	पल्हरी (गि०)	1091
92	पथरा	1092
93	पियार	1093
94	परसिद्धपुर	1094
95	पंचमपुर (ब)	1095
96	पल्हरी बदौसा	1096
97	पोंगरी	1097
98	पंचमपुर	1098
99	पिपरा	1199
100	पुरैनियां	1100
101	पहाड़ीमाफी	1101
102	पाही	1102
103	पतरहा	1103
104	पहाड़पुर	1104
105	बडोखर बुजुर्ग	1105
106	बडोखर खुर्द	1106
107	बलखेरा	1107
108	वनसखा	1108
109	बांसी	1109
110	बरईमानपुर	1110
111	बरियारी	1111
112	बहेरी	1112
113	बछई	1113
114	बडेहा स्योढा	1114
115	बन्डे	1115
116	बरुआ स्योढा(ग्रा)	1116
117	बरकोला कलां	1117
118	बरसडा मानपुर	1118
119	बडेहा कालिंजर	1119
120	बुलाकीपुर	1120
121	बरुवा कालिंजर	1121
122	बरियारपुर	1122
123	बिरौना	1123
124	बिरबौली	1124
125	बगहा	1125
126	बिलहरका	1126
127	बडैछा	1127
128	बदौसा सानी	1128
129	बहादुरपुर कालिंजर	1129

झ-निवन्धन  
परीक्षी (दांडा)

तहसीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

बपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा

(12)

130	बहादुरपुर स्योढा (गि)०	1130
131	भसरौड	1131
132	भवई	1132
133	भदैया	1133
134	माधवपुर	1134
135	मनीपुर	1135
136	मझगवां स्योढा	1136
137	मलेहरा नेवादा	1137
138	मूगुंस	1138
139	मसुरी खरगपुर	1139
140	मिर्जापुर	1140
141	मोरवां	1141
142	मुरादपुर	1142
143	मानपुर खुर्द	1143
144	मऊ (गि०)	1144
145	मोतियारी	1145
146	मुगौरा	1146
147	मुकेरा	1147
148	महुई	1148
149	मसनी	1149
150	मूडी	1150
151	महुरछा	1151
152	मसौनी भारतपुर	1152
153	रिसौरा	1153
154	रामपुर मुर्दी	1154
155	राजापुर	1155
156	रंजीतपुर	1156
157	रक्सी	1157
158	रामपुर	1158
159	रगौली भटपुरा	1159
160	रनखेरा	1160
161	रानीपुर	1161
162	रामनगर निस्फ	1162
163	रीगा	1163
164	रेहुंची	1164
165	लहुरेटा	1165
166	लामा खेटला	1166
167	लहौरा	1167
168	लाद पहाड़ी	1168
169	सौता स्योढा	1169
170	सरस्वाह	1170
171	सारीपुर	1171
172	समस्तपुर	1172
173	स्योढा	1173
174	सन्तपुर	1174
175	सरायं सलीमपुर	1175
176	सरायं जदीद	1176

अधिकारी (काला)  
पर्वती

प्रहरीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

बप्र-जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बांदा

प्रभावी

177	सिधल्ला	1177
178	शहबाजपुर	1178
179	शाहपुर	1179
180	शाहपाटन	1180
181	सिधौटी	1181
182	सढा	1182
183	सिधौरा	1183
184	सेजहरी	1184
185	सौता कालिंजर	1185
186	सकतपुर	1186
187	हुसेनपुर कलां	1187
188	हुसेनपुर खुर्द चक	1188
189	हडहा	1189
190	हरीपुर	1190

(13)

महानिरीक्षक  
वर्तमान (विवरण)

सालदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

लापर उपनिषिकारी (विवरण)

कलां

भाग-2

प्रारूप-2

उप जिला नरैनी जिला बांदा के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णनक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर में

(19)

क्र०सं०	साप्टवेयर में आवंटित किया गया वी-कोड	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर में
			प्रचलित
1	2	3	5
1	1001	अर्जुनाह	1200
2	1002	अजीतपुर	1200
3	1003	अकबरपुर	1300
4	1004	अमृतपुर खेरवा	1000
5	0006	इंदिरा नगर	12000
6	1005	ऐला	1100
7	1006	काजीपुर	900
8	1007	कोलावल रायपुर	1000
9	1008	केशरुवा	1000
10	1009	कीरतपुर	900
11	1010	कबौली	1000
12	1011	कल्हरा	900
13	1012	कुलसारी	900
14	1013	कल्यानपुर	1000
15	1014	कहला	900
16	1015	करतल	4500
17	1016	कनाय	900
18	1017	कटरा कालिंजर	4500
19	1018	किला कालिंजर	4000
20	0003	कृष्णा नगर	12000
21	0010	किदवई नगर	12000
22	1019	खड़िहा	900
23	1020	खेरवा	900
24	1021	खोही	900
25	1022	खानपुर	900
26	1023	खर्च	1000
27	1024	खन्देवरा	900
28	1025	खुजमरिया	900
29	1026	खलारी	900
30	1027	गोविन्दपुर	900
31	102	गोपाल खेडा	900
32	1029	गैडीगाफी	900
33	1030	गिरवां	1600
34	1031	गोखिया	900
35	1032	गढा	1000
36	1033	गुढाकलां	1200
37	1034	गहवरा	900
38	1035	गोरेमऊ खुर्द	900
39	1036	गोरेमऊ कलां	900
40	1037	गुढा खुर्द	900
41	1038	गोपरा	1000
42	1039	गिरधरपुर	900
43	1040	गढीचांदपुर	900
44	1041	गौर शिवपुर	1000

तहसीलदार  
नरैनी

सहायक मंहानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

८८८  
सिक्का

45	0002	गांधी नगर	12000
46	1042	चकमाफी	900
47	1043	चकमोरवां	900
48	1044	चकगिरवां	900
49	1045	चक प्रेमपुर	900
50	1046	चक कीरतपुर	900
51	1047	चटसरा	900
52	1048	चक बन्डे	900
53	1049	चक हङ्गा	900
54	1050	चन्दपुरा	900
55	1051	छतैनी	1000
56	1052	जरर	1000
57	1053	जहांगीराबाद	900
58	1054	जमापुर	900
59	1055	जमवारा	1000
60	1056	जोवनी	900
61	0004	जवाहर नगर	12000
62	1057	डढवामानपुर	900
63	1058	डहुरी	900
64	1059	डलहवा	900
65	1060	तेरा (गिरो)	900
66	1061	तरहटी कालिंजर	4200
67	1062	तरखरी	900
68	1063	देवरार	1000
69	1064	दुबरी	1000
70	1065	दिवली	900
71	1066	दुर्गापुर	900
72	0001	देविन नगर	12000
73	1067	धूधुर	800
74	1068	नाहरपुर माफी	800
75	1069	निमौरा	900
76	1070	नरैनी टा०ए०	7000
77	1071	निहालपुर	900
78	1072	नौहाई	900
79	1073	नन्दवारा	900
80	1074	नरैनी देहात	2800
81	1075	नसेनी	2100
82	1076	नौगवां	1000
83	1077	नीबी	900
84	1078	नहरी	1000
85	1079	नेढुवा	800
86	1080	नसरतपुर	800
87	1081	पैगम्बरपुर	1000
88	1082	पतौरा	1000
89	1083	पिथौराबाद	900
90	1084	पौण्डरा	900
91	1085	पचोखर	1100
92	1086	पनगरा	1800
93	1087	प्रेमपुर	900
94	1088	पुकारी	1000
95	1089	परशहर	900
96	1090	पडमई	1300
97	1091	पिपरहरी	900
98	1092	पलहरी (गिरो)	900
99	1093	कुथरा	800

100	1094	पियार	800
101	1095	परसिद्धपुर	1000
- 102	1096	पंचमपुर (ब)	900
103	1097	पलहरी बदौसा	900
104	1098	पोंगरी	1300
105	1099	पंचमपुर	900
106	1100	पिपरा	900
107	1101	पुरैनिया	900
108	1102	पहाड़ीमाफी	900
109	1103	पाही	900
110	1004	पतरहा	900
111	1005	पहाड़पुर	900
112	0005	पटेल नगर	13000
113	1006	बडोखर बुजुर्ग	1400
114	1007	बडोखर खुर्द	900
115	1008	बलखेरा	900
116	1009	बनसखां	900
117	1110	बांसी	1300
118	1111	बरई मानपुर	1300
119	1112	बरियारी	900
120	1113	बहेरी	1200
121	1114	बछेई	900
122	1115	बडेहा स्योढा	900
123	1116	बण्डे	900
124	1117	बरुआ स्योढा (ग्रा०)	4100
125	1118	बरुआ स्योढा (टा०ए०)	7000
126	1119	बरकोला कलां	900
127	1120	बरसडा मानपुर	900
128	1121	बडेहा कालिंजर	900
129	1122	बुलाकीपुर	900
130	1123	बरुआ कालिंजर	1200
131	1124	बरियारपुर	900
132	1125	विराईना	900
133	1126	विरबौली	900
134	1127	बगहा	900
135	1128	विलहरका	1000
136	1129	बडैचा	900
137	1130	बदौसासानी	900
138	1131	बहादुरपुर कालिंजर	2000
139	1192	बहादुरपुर स्योढा ग्रा०	800
140	1132	भसरौंड	1000
141	1133	भवई	1400
142	1134	भदैंया	900
143	1135	माघवपुर	900
144	1136	मनीपुर	900
145	1137	मझगवां स्योढा	1100
146	1138	मलेहरा नेवादा	900
147	1139	मूगुंस	1000
148	1140	मसुरी खरगपुर	900
149	1141	मिर्जापुर	1400
150	1142	मोरवां	1400
151	1143	मुरादपुर	900
152	1144	मानपुर खुर्द	800
153	1145	मऊ (ग्रा०)	900

लिपन्था  
लिपन्था

सीलदार  
सीलदार

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

पर जिला धिकारी (वि०/रा०)

धिकारी

154	1146	मोतियारी	1300
- 155	1147	मुगौरा	1200
- 156	1148	मुकेरा	900
157	1149	महूई	900
158	1150	मसनी	1000
159	1151	मूडी	900
160	1152	महुरछा	900
161	1153	मसौनी भारतपुर	1000
162	1154	रिसौरा	1300
163	1155	रामपुर मुर्दी	900
164	1156	राजापुर	900
165	1157	रंजीपुर	900
166	1158	रकसी	1300
167	1159	रामपुर	900
168	1160	रगौली भटपुरा	900
169	1161	रनखेरा	900
170	1162	रानीपुर	900
171	1163	रामनगर निस्फ	900
172	1164	रीगा	800
173	1165	रेहुंची	1000
174	0007	राजनगर	13000
175	0012	रामनगर	13000
176	0011	राजीव नगर	13000
177	1166	लहुरेटा	1300
178	1167	लामा खुटला	900
179	1168	लहौरा	1000
180	1169	लाद पहाड़ी	800
181	1170	सौता स्योढा	1000
182	1171	सरस्वाह	800
183	1172	सारीपुर	800
184	1173	सगस्तपुर	900
185	1174	स्योढा	800
186	1175	सन्तपुर	800
187	1176	सरायसलीमपुर	800
188	1177	सरायं जदीद	800
189	1178	सिधल्ला	4000
190	1179	शहबाजपुर	1000
191	1180	शाहपुर	1000
192	1181	शाहपाटन	1000
193	1182	सिघौटी	800
194	1183	सढा	1200
195	1184	सिघौरा	800
196	1185	सेजहरी	800
197	1186	सौता कालिंजर	1000
198	1187	सकतपुर	700
199	008	सुमाश नगर	13000
200	0009	शास्त्री नगर	13000
201	1188	हुसेनपुर कलां	1300
202	1189	हुसेनपुर खुर्द चक	1300
203	1190	हडहा	1000
204	1191	हरीपुर	800

शहरीर कालिंजर  
निवन्धन बाँदा

तहसीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-बाँदा

उपर जिलाधिकारी (विवरण)  
जिला कालिंजर

## प्रारूप-3

नगरीय/अर्द्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के सेगमेन्ट पर पड़ने वाले मोहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग भीटर में -						
क्रम संख्या एवं रोड सेगमेन्ट का नाम कहाँ से कहाँ तक	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दरें	वाणिज्यिक सम्पत्ति की भूमि की दरें		
				दुकान	गोदाम	कार्यालय
1	2	3	4 प्रचलित	5 प्रचलित	6 प्रचलित	7 प्रचलित
1—नरैनी चौराहा से बांदा रोड पर प्रथम पेट्रोल पम्प तक सड़क के दोनों ओर	राजनगर, सुभाष नगर, बरुवा स्योढा, सिघल्ला	0007	27000	67000	62000	59000
2—नरैनी चौराहा से बद्री कम्पाउन्डर के पुरवा तक (माईनर तक)	सुभाष नगर इन्द्रानगर बरुवा स्योढा	0007	27000	67000	62000	59000
3—नरैनी चौराहा से करतल रोड पर मुल्ला जी के गेस्टहाउस तक	बरुवा स्योढा, सुभाष नगर	0008	27000	67000	62000	59000
4—नरैनी चौराहा से अतरा रोड पर महुटा रजबहा तक	किदवई नगर राजीव नगर शास्त्री नगर रामनगर देविन नगर कृष्ण नगर जवाहर नगर  नरैनी देहात	0010 0012 0009 0011 0001 0003 0004 1074	27000	67000	62000	59000
5—नरैनी बांदा रोड पर प्रथम पेट्रोल पम्प से चिकित्सा पल्लव तक सड़क के दोनों तरफ	सिघल्ला व पनगरा	1178	18000	47000	35000	30000
6—चिकित्सा पल्लव से मौजा पनगरा सीमा तक नरैनी बांदा रोड पर सड़क के दोनों तरफ	पनगरा	1086	15000	37000	32000	24000

ललित शर्मा  
कल्पी (कल्पी)

तहसीलदार  
नरैनी

सहायक महानिराम  
निवन्धन-बांदा

वर जिनाधिकारी (विवरण)  
बांदा

7—नरैनी कालिंजर रोड पर बद्री कम्पाउंडर (माइनर) मौजा बरुवा स्योढा से गुढ़ाकला मौजा की प्रारम्भिक सीमा तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ	बरुवा स्योढा	1117	15000	37000	32000	24000
8—मौजा बरुवा स्योढा के सीमा समाप्ति से मौजा गुढ़ाकला की सीमा समाप्ति तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ	मौजा गुढ़ाकला	1033	7500	32000	29000	20000
9—नरैनी करतल रोड पर मुला जी के गेस्ट हाउस से मौजा नसेनी सीमा समाप्ति तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ	नरैनी व बरुवा स्योढा व नसेनी	1074 1118 1075	15000	42000	32000	24000
10 नसेनी सीमा समाप्ति से मौजा झुमवारा सीमा समाप्ति तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ	झुमवारा	1055	7500	41000	30000	20000
11—नरैनी अतरा रोड पर महुटा राजबहासे मौजा भवई सीमा समाप्ति तक मुख्य रोड के दोनों तरफ	भवई	1133	15000	37000	32000	24000
12—गिरवा—देवी जी रोड पर तिराहा (मुख्य सड़क) से पश्चि विकित्सालय तक सड़क के दोनों तरफ	गिरवा	1030	8000	32000	27000	22000
13—नरैनी कालिंजर रोड पर भोला प्रसाद पटेल के पट्रोल पम्प से काशी खटिक के पुरवा तक	कटरा कालिंजर व तरहटी कालिंजर	1017 1061	8000	32000	27000	22000
14—नरैनी करतल रोड पर बाबूपुर मोड से करतल सीमा	करतल	1015	8000	32000	27000	22000

ललित पाण्डित  
कल्पना देवी (वाँदा)

तहसीलदार  
नरैनी

सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-बाँदा

उपर जिल्हाधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा

ललित पाण्डित

तक दोनों तरफ						
15-नरेनी बांदा शेड पर डॉबी०आर० अम्बेदकर महा त्रियालय से मौजा मिर्जापुर सीमा समाप्ति तक दोनों तरफ	गिरवा व मिर्जापुर	1030 1141	8000	32000	27000	22000

20




नरेनी बांदा  
नरेनी (बांदा)




तहसीलदार  
नरेनी



सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बांदा



सुपर इन्सिपिक्टरी (डॉ०/रा०)



अम्बेदकर ट्रस्ट

प्रारूप -4

इस प्रारूप मे प्रारूप-2 व प्रारूप-3 मे दी गयी दरो से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यक संम्पत्ति की न्यूनतम दरें (प्रति वर्ग भीटर) समस्त उपजिले के अधीन सम्पूर्ण नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के वर्णानुक्रम मे इंगित की जायेगी ।

क्र० सं०	प्रारूप -1 मे आवंटित किया गया वी-कोड	मॉहल्लो या राजस्व ग्राम का नाम	श्रेणी	अकृषक भूमि की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग भी० मे० ।			राजस्व ग्रामों मे कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टेयर मे० ।		
				10 फिट या 10फिट से अधिक एम 15 फिट तक के चौड़े रास्ते पर।	15 फिट से अधिक चौड़े रास्ते पर।	वाणिज्यक संम्पत्ति की भूमि की दरें।	सङ्क पर स्थित भूमि (लाख रु० मे०)	आवादी से सटी हुयी भूमि (लाख रु० मे०)	सामान्य भूमि (लाख रु० मे०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				प्रचलित	प्रचलित	प्रचलित	प्रचलित	प्रचलित	प्रचलित
1	1001	अर्जुनाह	ग्रामीण	2000	3800	31000	17	32	14
2	1002	अजीतपुर	ग्रामीण	1800	3800	31000	17	32	13
3	1003	अकबरपुर	ग्रामीण	1600	3800	31000	22	43	15
4	1004	अमृतपुर खेरवा	ग्रामीण	1200	2200	31000	13	19	11
5	0006	इन्द्रा नगर	अद्व नगरीय	15000	24000	65000	—	—	—
6	1005	ऐला	ग्रामीण	1400	2200	31000	13	19	10
7	1006	काजीपुर	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
8	1007	कोलावल रायपुर	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
9	1008	कैशरुवा	ग्रामीण	1400	2300	31000	13	19	10
10	1009	कीरतपुर	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
11	1010	कबौली	ग्रामीण	1400	2200	31000	16	29	13
12	1011	कलहरा	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
13	1012	कुलसारी	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
14	1013	कल्यानपुर	ग्रामीण	1400	2200	31000	16	29	13
15	1014	कहला	ग्रामीण	1200	2100	31000	13	19	10
16	1015	करतल	ग्रामीण	5200	6500	33000	25	45	17
17	1016	कनाय	ग्रामीण	1600	4000	31000	16	29	13
18	1017	कटरा कालिंजर	ग्रामीण	5000	6000	33000	25	45	18
19	1018	किला कालिंजर	ग्रामीण	4900	5400	31000	22	43	15
20	0003	कृष्ण नगर	अद्व नगरीय	14000	24000	65000	—	—	—
21	0010	किदवई नगर	अद्व नगरीय	14000	24000	65000	—	—	—
22	1019	खडिहा	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
23	1020	खेरवा	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
24	1021	खोही	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
25	1022	खानपुर	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
26	1023	खरोंच	ग्रामीण	1200	2000	31000	21	45	14

कल्यानपुर  
कल्यानपुर  
कल्यानपुर

तहसीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बॉद्धा

प्रभागीकारी (विद्युत राजी)

27	1024	खन्देवरा	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
28	1025	खुजमरिया	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
29	1026	खलारी	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
30	1027	गोविन्दपुर	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	10
31	1028	गोपाल खेडा	ग्रामीण	1100	1800	31000	13	20	11
32	1029	गैडीमाफी	ग्रामीण	1100	4500	31000	13	20	10
33	1030	गिरवा	ग्रामीण	3000	5500	33000	24	46	18
34	1031	गोखिया	ग्रामीण	1200	1800	31000	20	43	15
35	1032	गढा	ग्रामीण	1400	2200	31000	18	20	14
36	1033	गुढाकला	ग्रामीण	1800	2400	31000	23	45	16
37	1034	गहबरा	ग्रामीण	1100	1900	31000	13	20	11
38	1035	गोरेमऊ खुर्द	ग्रामीण	1400	2200	31000	13	20	10
39	1036	गोरेमऊ कला	ग्रामीण	1100	1900	31000	13	20	10
40	1037	गुढा खुर्द	ग्रामीण	1100	1900	31000	13	20	10
41	1038	गोपरा	ग्रामीण	1200	2000	31000	13	20	10
42	1039	गिरधरपुर	ग्रामीण	1100	1800	31000	18	30	14
43	1040	गढीचांदपुर	ग्रामीण	1100	1900	31000	13	20	10
44	1041	गौर शिवपुर	ग्रामीण	1200	2000	31000	13	20	10
45	0002	गांधी नगर	अर्द्ध नगरी	15000	24000	68000	—	—	—
46	1042	चकमाफी	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
47	1043	चकमोरवा	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
48	1044	चक गिरवा	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
49	1045	चक प्रेमपुर	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
50	1046	चक कीरतपुर	ग्रामीण	1100	1800	44000	16	30	13
51	1047	चटसरा	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
52	1048	चकबन्डे	ग्रामीण	1100	1800	44000	12	20	10
53	1049	चक हड्हा	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
54	1050	चन्दपुरा	ग्रामीण	1100	1800	44000	16	30	13
55	1051	छतैनी	ग्रामीण	1200	2000	44000	16	30	13
56	1052	जरर	ग्रामीण	1200	2000	44000	15	21	11
57	1053	जहांगीराबाद	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
58	1054	जमापुर	ग्रामीण	1100	1800	44000	21	45	15
59	1055	जमवारा	ग्रामीण	1200	1800	44000	15	24	13
60	1056	जोवनी	ग्रामीण	1000	1600	42000	13	20	10
61	0004	जवाहर नगर	अर्द्ध नगरी	14000	24000	65000	—	—	—
62	1057	झङ्गामानपुर	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
63	1058	झुर्री	ग्रामीण	1100	1800	42000	13	20	10
64	1059	झलहवा	ग्रामीण	1100	1800	44000	20	45	14
65	1060	तोंरा (गिर)	ग्रामीण	1100	1800	44000	13	20	10
66	1061	तरहटी कालिंजर	ग्रामीण	5000	6000	44000	17	45	15
67	1062	तरखरी	ग्रामीण	1100	2000	44000	13	20	10
68	1063	देवरार	ग्रामीण	1900	5500	44000	15	32	14
69	1064	दुबरी	ग्रामीण	1100	1800	42000	20	43	14
70	1065	दिदली	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10

उत्तराखण्ड  
गोप्य (गोप्य)

तहसीलदार

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन बांदा

बपर जलाधिकारा (ब०/र०)

71	1066	दुर्गापुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	45	11
72	0001	देविन नगर	अर्द्ध नगरी	14000	24000	44000	—	—	—
73	1067	धूधुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
74	1068	नाहरपुर माफी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
75	1069	निर्भौंरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
76	1070	नरैनी (टा००९)	अर्द्ध नगरीय	14000	24000	46000	36	58	27
77	1071	निहलपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
78	1072	नौहाई	ग्रामीण	1100	1900	44000	13*	20	10
79	1073	नन्दवारा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
80	1074	नरैनी देहात	ग्रामीण	3200	3800	44000	25	47	17
81	1075	नसेनी	ग्रामीण	1900	2600	44000	23	45	15
82	1076	नौगवां	ग्रामीण	1200	1900	44000	16	30	13
83	1077	नीबी	ग्रामीण	1100	1900	44000	16	30	13
84	1078	नहरी	ग्रामीण	1400	2000	44000	18	32	13
85	1079	नेढुवा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
86	1080	नसरतपुर	ग्रामीण	1300	1800	42000	20	42	14
87	1081	पैगम्बरपुर	ग्रामीण	1400	2000	44000	22	45	15
88	1082	पतौरा	ग्रामीण	1200	2000	44000	13	20	10
89	1083	पिथौरावाद	ग्रामीण	1100	1900	44000	12	20	10
90	1084	पौण्डरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
91	1085	पचोखर	ग्रामीण	1500	2400	44000	17	32	14
92	1086	पनगरा	ग्रामीण	2200	2800	44000	22	45	15
93	1087	प्रेमपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
94	1088	पुकारी	ग्रामीण	1200	2000	44000	22	45	15
95	1089	परशहर	ग्रामीण	1100	1900	44000	22	45	10
96	1090	पडमई	ग्रामीण	1400	1900	44000	17	32	14
97	1091	पिपरहरी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
98	1092	पल्हरी (गिरो)	ग्रामीण	1100	1900	44000	15	22	10
99	1093	पथरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
100	1094	पियार	ग्रामीण	1200	2000	44000	14	22	10
101	1095	परसिद्धपुर	ग्रामीण	1200	2000	44000	14	22	10
102	1096	पंचमपुर (ब)	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
103	1097	पल्हरी बदौसा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
104	1098	पोंगरी	ग्रामीण	1600	1900	44000	13	20	10
105	1099	पंचमपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
106	1100	पिपरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13*	20	10
107	1101	पुरैनियां	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	22	10
108	1102	पहाड़ीमाफी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
109	1103	पाही	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
110	1104	पतरहा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
111	1105	पहाड़पुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
112	0005	पटेल नगर	अर्द्ध नगरीय	15000	24000	65000	—	—	—
113	1106	बडोखर बुजुर्ग	ग्रामीण	2000	2800	44000	22	45	15

नि. ०००१  
पैगम्बरपुर

तहसीलदार  
नरैनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

विधायिका (दिल्ली)  
निवासी (दिल्ली)

114	1107	बडोखर खुर्द	ग्रामीण	1100	1900	44000	22	45	15
115	1108	बलखेरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	23	10
116	1109	वनसखा	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	23	10
117	1110	बांसी	ग्रामीण	1800	2500	44000	17	33	14
118	1111	बरईमानपुर	ग्रामीण	1700	2200	44000	14	23	10
119	1112	बरियारी	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	23	10
120	1113	बहेरी	ग्रामीण	1600	2000	44000	18	24	14
121	1114	बछेई	ग्रामीण	1100	1900	44000	18	34	14
122	1115	बडेहा स्योढा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
123	1116	बन्डे	ग्रामीण	1100	1900	42000	14	22	10
124	1117	बरुआ स्योढा(ग्रा०)	ग्रामीण	5000	6500	44000	23	45	15
125	1118	बरुआ स्योढा(टा०ए ०)	अर्द्ध नगरीय	7000	8500	46000	25	48	18
126	1119	बरकोला कला०	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
127	1120	बरसडा मानपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
128	1121	बडेहा कालिंजर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
129	1122	बुलाकीपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
130	1123	बरुवा कालिंजर	ग्रामीण	1300	1900	44000	22	45	15
131	1124	बरियारपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
132	1125	बिरौना	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
133	1126	बिरबौली	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
134	1127	बगहा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
135	1128	बिलहरका	ग्रामीण	1300	2000	44000	13	20	10
136	1129	बडेछा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
137	1130	बदौसा सानी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
138	1131	बहादुरपुर कालिंजर	ग्रामीण	3500	4000	42000	19	42	15
139	1192	बहादुरपुर स्योढा(ग्रा०)	ग्रामीण	1100	2500	30000	13	19	10
140	1132	भसरौड	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	19	10
141	1133	भवई	ग्रामीण	2000	2400	44000	17	24	12
142	1134	भदैया	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
143	1135	माधवपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
144	1136	मनीपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
145	1137	मझगावं स्योढा	ग्रामीण	1300	1900	44000	13	20	10
146	1138	मलेहरा नेवादा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
147	1139	मूगुंस	ग्रामीण	1500	2000	44000	14	22	11
148	1140	मसुरी खरगपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
149	1141	मिर्जापुर	ग्रामीण	1800	2500	44000	14	21	11
150	1142	मोरवां	ग्रामीण	1800	2500	44000	23	45	15
151	1143	मुरादपुर	ग्रामीण	1100	2200	44000	13	20	10
152	1144	मानपुर खुर्द	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10

153	1145	मऊ (गिरो)	ग्रामीण	1100	1900	44000	14	23	10
154	1146	मोतियारी	ग्रामीण	1600	2500	44000	23	45	15
155	1147	मुगौरा	ग्रामीण	1500	2300	44000	22	45	15
156	1148	मुकेरा	ग्रामीण	1200	2000	44000	17	32	14
157	1149	महूई	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
158	1150	मसनी	ग्रामीण	1300	2000	44000	13	20	10
159	1151	मूडी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
160	1152	महुरछा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
161	1153	मसौनी भारतपुर	ग्रामीण	1300	2000	44000	17	30	13
162	1154	रिसौरा	ग्रामीण	1800	2500	44000	23	45	15
163	1155	रामपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	16	27	13
164	1156	राजापुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
165	1157	रंजीतपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
166	1158	रक्सी	ग्रामीण	1400	2200	44000	13	20	10
167	1159	रामपुर मुर्दी	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
168	1160	रगौली भटपुरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	17	29	13
169	1161	रनखेरा	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
170	1162	रानीपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
171	1163	रामनगर निस्फ	ग्रामीण	1100	1900	44000	16	29	14
172	1164	रीगा	ग्रामीण	1200	2000	44000	13	20	10
173	1165	रेहुंची	ग्रामीण	1300	2000	44000	14	23	11
174	0007	राजनगर	अर्द्ध नगरीय	15000	24000	65000	—	—	—
175	0012	रामनगर	अर्द्ध नगरीय	15000	24000	65000	—	—	—
176	0011	राजीव नगर	अर्द्ध नगरीय	15000	24000	65000	—	—	—
177	1166	लहुरेटा	ग्रामीण	1800	2500	44000	20	43	15
178	1167	लामा खुटला	ग्रामीण	900	1600	40000	14	20	10
179	1168	लहौरा	ग्रामीण	1000	1600	42000	14	20	10
180	1169	लाद पहाड़ी	ग्रामीण	1100	1900	42000	14	20	10
181	1170	सौता स्थोढा	ग्रामीण	1100	1900	42000	16	29	13
182	1171	सरस्वाह	ग्रामीण	1100	1900	42000	16	29	13
183	1172	सारीपुर	ग्रामीण	1100	1900	42000	13	20	10
184	1173	समस्तपुर	ग्रामीण	1100	1900	42000	13	20	10
185	1174	स्थोढा	ग्रामीण	1100	1900	42000	16	29	13
186	1175	सन्तपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
187	1176	सरायं सलीमपुर	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
188	1177	सरायं जदीद	ग्रामीण	1100	1900	44000	13	20	10
189	1178	सिधल्ला	ग्रामीण	4800	5500	44000	15	25	12
190	1179	शहबाजपुर	ग्रामीण	1300	1800	44000	13	20	10
191	1180	शाहपुर	ग्रामीण	1300	1800	44000	15	29	13
192	1181	शाहपाटन	ग्रामीण	1000	1500	44000	16	29	13
193	1182	सिधौटी	ग्रामीण	1000	1500	44000	16	29	13
194	1183	सढा	ग्रामीण	1500	2200	44000	20	33	15

महानिरीक्षक  
संघर्षकालीन समिति

तहसीलदार

सहायक महानिरीक्षक

जिल्हा अधिकारी (वि०/रा०)

प्रधान

195	1184	सिधौरा	ग्रामीण	1000	1600	44000	16	29	13
196	1185	सेजहरी	ग्रामीण	1000	1600	44000	16	29	13
197	1186	सौता कालिंजर	ग्रामीण	1300	1900	44000	17	32	14
198	1187	सकतपुर	ग्रामीण	1000	1600	44000	17	29	13
199	0008	सुभाष नगर	अर्द्ध नगरीय	16000	24000	65000	—	—	—
200	0009	शास्त्री नगर	अर्द्ध नगरीय	16000	24000	65000	—	—	—
201	1188	हुसेनपुर कला	ग्रामीण	1400	2100	44000	16	29	13
202	1189	हुसेनपुर खुर्द चक	ग्रामीण	1400	2100	44000	16	29	13
203	1190	हडहा	ग्रामीण	1400	2000	44000	16	29	13
204	1191	हरीपुर	ग्रामीण	1000	1600	44000	14	29	13

ग्रामीण  
निबन्धन  
परिवार (बाँदा)

तहसीलदार  
नरेन्द्री

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

प्रधार जिलाधिकारी (वि०/रा०)  
बाँदा



## भाग—३


## प्रारूप—५

क— गैर वाणिजिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें:—

क्र०सं०	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिर्षता आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर
			प्रचलित दर	प्रचलित दर
1	2	3	4	6
1	आर०सी०सी०	80 वर्ष	14000	13000
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	13000	12000
3	करी, कर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	9000	8000
4	टिनशेड, एस्बेस्टस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	6500	6000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	5000	4500

प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि उसमें दरवाजे खिड़की में महंगी लकड़ी तथा शीशम, सामान, देवदार या कम्प्रेस्ड वाटरप्रूफ बोर्ड या मेटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मारबल, स्टोन, वटीफाइड टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।

द्वितीय श्रेणी के निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।



निवन्धन-वाँदा  
कर्मी (वाँदा)



तहसीलदार  
नरेन्द्री



सहायक महानिरीक्षक  
निवन्धन-वाँदा



पर जिनाधिकारी (बि०/रा०)  
वाँदा

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निम्नांकित तरीके से निकाला जा सकेगा—

भवन का कुल मूल्य = भवन में निहित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के प्रारूप-2, 3 या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य

भवन का निर्माण मूल्य = भवन का पुर्नस्थापना मूल्य से मूल्य हास घटाइये।

भवन का पुर्नस्थापन मूल्य = भवन का कुल कवर्ड एरिया X इस सूची में दी गयी निर्माण की सुसंगत दर

मूल्य हास भवन का पुर्नस्थापन मूल्य X भवन की वर्तमान आयु X 9

भवन की अधिवर्षता आयु X 10

यदि भवन की वास्तविक वर्तमान आयु इस सूची में दी गयी न्यूनतम अधिवर्षता आयु से अधिक है तो वही आयु अधिवर्षता आयु भी मानी जायेगी। किसी भी दशा में मूल्यहास 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भवन का स्क्रैप मूल्य 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि भवन की आयु केवल 20 वर्ष या उससे कम है तो ऐसे भवन पर कोई मूल्य हास अनुमन्य नहीं होगा।

ख. एकल दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान के निर्माण की दर ₹ 0 22000/- (बाइस हजार) प्रति वर्ग मीटर होगा।

व-निबन्ध  
कर्त्ता (वाल)

तहसीलदार  
नरेनी

सहायक महानिरीक्षक  
निबन्धन-बाँदा

उपर जिलाधिकारी (दिल्ली)  
लांका